रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 3 सितम्बर, 2001/12 भाद्रपद, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 30 अगस्त, 2001

संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0 (12) 6/2001.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूचि "ख" (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अनुसूचि' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं, अर्थात:—

प्रारूप संशोधन

उक्त अनुसूचि में, ...

"मद संख्या 45 का लोप किया जाएगा" ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जो प्रस्तावित संशोधन की बाबत कोई आक्षेप करना/सुझाव देना चाहे तो वह उसे/इन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर

आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को लिखित रूप में दाखिल कर सकेगा । निहित अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर प्रारूप संशोधन को अन्तिम रूप देने से पूर्व सम्यक रूप से विचार किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English Text of this department Notification No. EXN-F* (12) 6/2001, *dated* 30*th August*, 2001 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 30*th August*, 2001

No. EXN-F (12) 6/2001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following amendment in Schedule 'B' appended to the said Act (hereinafter called the 'said Scheduled') namely:—

DRAFT AMENDMENT

In the said Schedule,.....

"Item No. 45 shall be deleted".

Any interested person who has any objection(s)/suggestion(s) to the proposed amendment may file the same in writing to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009 within a period of 30 days from the date of publication of notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh. The objection(s)/suggestion(s) received within the prescribed period shall be duly considered before the finalisation of the draft amendment.

By order,

Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।